भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
जीएसटी आयुक्त का कार्यालय, गुवाहाटी
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF GST
सेठी ट्रस्ट बिल्डिंग, पाचवीं मंजिल, जी .एस रोड, भांगागढ़ , गुवाहाटी-781005
SETHI TRUST BUILDING, 5TH FLOOR, G.S. ROAD, BHANGAGARH, GUWAHATI – 781 005

राष्ट्र कर बाजार

हिन्दी रूपांतरण

C.No.IV(16)106/Hqrs./Tech/Ghy/16 Dated 04.11.2017

प्रैस विज्ञपति

दिनांक 04.011.2017

दिनांक 01.07.2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया गया है। यह संबंधित राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के तत्वाधान में किया गया है। नई कर व्यवस्था होने की वजह से यह अति आवश्यक हो गया है कि उपभोक्ता तक इसके फायदे को कारगर तरीके से समझाया जाए।भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के अधीन सभी उपभोक्ताओं के लिए अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अधीन उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया है।

उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय गुवाहाटी द्वारा आज गुवाहाटी में एक जागरूकता अभियान वाहन रैली के माध्यम से उपभोक्ताओं तक अपनी बात पहुचाने हेतु आयोजन किया है। इस रैली का उद्देश्य उपभोक्ता को उन मूल-भूत चीजों की जानकारी देना है जिन्हे जानना उपभोक्ता के लिए बहुत जरूरी है ताकि जीएसटी लागू होने के कारण धटी हुई कीमतें का पूरा लाभ ले सके।

यह रैली 10 बजे शुरू हुई जिसमें आयुक्तालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया, यह भांगागढ़ स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय से शुरू होकर महापुरूष श्रीमंत शंकर देव पथ, महापुरूष दामोदर देव पथ से भरालमुख एवं एम.जी रोड़, मनी राम दिवान रोड़ आनंदराम बरूवा सेतु, एवं अंत में आर.जी बरूवा पर रैली समाप्त हुई। बिहु नृत्य एवं गायन के रूप में दो झाकियां भी रैली के साथ प्रस्तुत की गई।यह रैली को जन मानस ने सकारात्मक रूप में अपनाया।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि , जीएसटी आयुक्तालय, गुवाहाटी ने ओवर हेड बिलबोर्ड, एफ. एम रेडियों , समाचार पत्रों, सम्पर्क कार्यक्रमों, करदाता एवं उपभोक्ता समर्पित सीजीएसटी सेवा केन्द्रों, चर्चा कार्यक्रम, एवं सोशल मिडिया माध्यम से जुलाई 2017 से उपभोक्ता जागरूकता हेतु कदम उठा रही है।

श्रीबास धर

श्रीबास धर

सहायक आयुक्त (प्रभ-सितु)